कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश कमांक F/1(7)(Rules)/2008 Jaipur Dated 12.09.08 एवं F-1(7)(Rules)/2008 Dated 06-10-08 के नियम 19 एवं आदेश दिनांक 12.10.12 एवं आदेश दिनांक 05.07.2013 एवं आदेश एफ 13(1) एफ.डी. (रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसरण में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जांच/अभिशंषा सहित प्राप्त निम्नाकिंत व0अ0/कार्मिकों को आश्वासित केरियर प्रोगेस (ACP) के तहत देय लाभ उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क. स.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथी	प्रथम नियुक्ति तिथी/ नियमित नियुक्ति तिथी	व.अ. पद पर कार्यग्रहण तिथी	सेवाअवधि (वर्ष में)	देय तिथि	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में आहरित ग्रेड–पे वेतनमान 2017	देय एसपी एवं तिथी		वि0वि0
											दिनांक	ग्रेड पे/ पे मैट्रिक्स	
1	मनोज कुमार गोयल	स.प्र.अ.	राउमावि फुलाद, मा0ज0	पाली	01/09/1972	22/06/1993	14/02/2019	27	22/06/2020	L-10	22/06/2020	L-11	
2	श्रीमति वन्दना पारिक	व0अ0	रामावि रामगढ चांग, रायपुर	पाली	29/06/1968	22/11/1991	07/09/2013	27	22/11/2018	L-12	22/11/2018	L-13	
3	विकास कुमार	व0अ0	राउमावि कुलथाना, रोहट	पाली	27/10/1988	14/10/2011	14/10/2011	9	14/10/2020	L-11	14/10/2020	L-12	
4	शिव पाल सिंह	व0अ0	राउमावि दुदापुरा देसूरी	पाली	18/07/1987	17/10/2011	17/10/2011	9	17/10/2020	L-11	17/10/2020	L-12	
5	नाथूराम खत्री	व0अ0	राउमावि गुडा जाटान, देसूरी	पाली	26/06/1988	15/10/2011	15/10/2011	9	15/10/2020	L-11	15/10/2020	L-12	

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा एवं इसकी प्रविष्टियॉ सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंवे कि सम्बन्धित कर्मचारी ए.सी.पी. लाभ देय तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में ही वेतन प्राप्त कर रहा है। एवं इनके विरूद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर लम्बित/ विचाराधीन नहीं है। उक्त कर्मचारियों ने यदि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.12.96 के तहत पदोन्नति परित्याग किया है तो प्रथम एसीपी का लाभ ही देय है, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी के आदेश प्रभावी रहेंगे। साथ ही दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई तो भी उक्त आदेश अप्रभावी रहेंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) वेतन नियम 2008 (01.09.06) अनुसार वेतन निर्धारण पर 31.12.06 तक एवं चतुर्थ संशोधन 2008 (01.01.20069 अनुसार वेतन निर्धारण 30.06.2013 तक का एरियर प्रोदभूत नहीं होगा। साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान होने पर ही उक्त आदेश प्रभावी होंगे।

उक्त कार्मिकों की पदोन्नति व्याख्याता (राजपत्रित पद) पर वित्त विभाग के आदेश कमांक प.2(1) कार्मिक/क–2/अ.प्र./91/ दिनांक 31.03.2015 अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प.2(1) कार्मिक/ क–2/अ.प्र./91 दिनांक 03.06.2008 के भाग–1 के बिन्दु संख्या 15 में संशोधन करते हुए बिन्दु संख्या 15.1 जोडा गया तदनुसार देयता तिथी को व्याख्याता माना जाने पर उन्हें 10,20,30 पर देयता बनती है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त समझे जावे। वित्त विभाग आदेश एफ16(2) एफ.डी.रूल्स 98 दिनांक 20.08.10 अनुसार 18 वर्षीय पूर्व में स्वीकृत एसीपी की जांच करवाकर 27 वर्षीय एसीपी वेतन निर्धारण किया जावे। अधि संदायों का यदि कोई हो तथा जिसका बाद में पता लगे, प्रतिदाय करने के बारे में कार्मिक जिम्मेवार रहेगा।

(जगदीश चन्द्र राठौड़)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

कमांक : स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था–1/एसीपी/20/204 दिनांक :– 19.11.2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. 1. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। 2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक/माध्यमिक
3. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 4. सम्बन्धित संस्था प्रधान/ 6. रक्षक पत्रावली

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

www.rajteachers.com